"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 अगस्त 2009— श्रावण 16, शक 1931

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्बसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि मैं मोहम्मद यूसुफ पिता मो. ईसहाक, उम्र 37 वर्ष, निवासी-रसूलपुर, पो.-थाना अम्बिकापुर, जिला -सरगुजा (छ. ग.) का हूं. मैं अपने उपनाम परिवर्तित कर अपना नाम यूसुफ अहमद रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे यूसुफ अहमद पिता मो. ईसहाक के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
मोहम्मद यूसुफ	यूसुफ अहमद
पिता-मो. ईसहाक	पिता-मो. ईसहाक
निवासी-रसूलपुर	निवासी-रसूलपुर
पो.-थाना-अम्बिकापुर	पो.-थाना-अम्बिकापुर
जिला-सरगुजा (छ. ग.)	जिला-सरगुजा (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभाग अंबिकापुर, जिला-सरगुजा, छ. ग.

अंबिकापुर, दिनांक 15 जुलाई, 2009

प्ररूप-चार
[नियम 5(1) देखिये]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) तथा छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 का उपनियम (1) देखिए]

क्रमांक /2085/वाचक-1/2008.—यह कि श्रीमती पुष्पा सिंह नेताम आत्मजा श्री जगतनारायण सिंह, निवासी ग्राम भठ्ठी रोड, अंबिकापुर, तहसील अंबिकापुर, जिला सरगुजा ने छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई संपत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 08-08-2008 को विचार के लिए लिया जाएगा.

कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसके लिए गठित की जाती है.

अत: मैं, चंदन संजय त्रिपाठी, अनुविभाग, अंबिकापुर के लोक न्यासों की पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 08-08-2008 को उक्त अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करती हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी मत या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक पक्ष के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और मेरे न्यायालय में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्त्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए उपरोक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जायेगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम और पता	:	सूर्य प्रकाश मेमोरियल ट्रस्ट, भठ्ठी रोड, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा
2.	चल संपत्ति	:	1000.00
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

जारी दिनांक : 08-08-2008

श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी,
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 27 जून 2009

[छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत]

क्रमांक/संपंदु./परिसमापन/2009/723.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /संपंदु./परिसमापन/04/470 दुर्ग, दिनांक 22-3-2004 के तहत् रेत मुरूम खदान सहकारी समिति जेवरा सिरसा, पं. क्र. 2564 को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखंड दुर्ग को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, उमेश तिवारी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक सहकारी संस्थाएं के द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं, का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27-6-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

उमेश तिवारी,
सहायक पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव (छ. ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 22 जुलाई 2009

क्रमांक/368/उपंरा/परि./2009.—शिव आदिवासी बुनकर सहकारी समिति मर्यादित चिद्दो, पंजीयन क्रमांक 230 विकासखण्ड डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 70(1) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1566 दिनांक 21-8-2000 से श्री डी. बी. ढारगावे, सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड डोंगरगढ़ को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 71 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत छ. ग. सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर धारा 71(3) के अन्तर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया जिससे मैं संतुष्ट हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय हो गया है.

अतएव मैं, एस. एल. विश्वकर्मा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक /एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं के शक्तियों का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत शिव आदिवासी बुनकर सहकारी समिति मर्यादित, चिद्दो, पंजीयन क्रमांक 230, विकासखण्ड डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव का पंजीयन निरस्त करता हूं और उक्त संस्था का निगमित निकाय (बाड़ी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 22-7-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

एस. एल. विश्वकर्मा,
उप पंजीयक.

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 18 जून 2009

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2009/916.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/749/बिलासपुर, दिनांक 3-4-2008 के तहत संजय उप भंडार असफाक उल्लास सहकारी समिति मर्यादित, बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3642 दिनांक 14-3-95, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्रीमति नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 18-6-2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 18 जून 2009

क्रमांक /परिसमापन/2009/917.— जयभवानी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित, रामदास नगर टिकरापारा बिलासपुर, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3602 दिनांक 17-2-95 को सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था. कारण बताओ सूचना का जवाब प्रस्तुत नहीं होने के फलस्वरूप उक्त संस्था को परिसमापन में लाते हुए श्री एम. के. बंदे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: संस्था के परिसमापक द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. समिति के सदस्यों की बैठक आहूत कर यह निर्णय लिया गया कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाय. सोसायटी अधिनियम/नियम एवं पंजीकृत उपविधि तथा समय-समय पर शासन द्वारा बनाये गये नियमों के तहत कार्य करेगी. परिसमापक द्वारा भी समिति को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की गई परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर समिति को पुनर्जीवित करना सदस्यों के हित में है. परिसमापक के प्रतिवेदन से मैं सहमत हूं.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह(सी) दिनांक 26-7-99 के द्वारा पंजीयक के द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(4) के तहत जयभवानी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित रामदास नगर टिकरापारा बिलासपुर, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3602 दिनांक 17-2-95 को पुनर्जीवित करने का आदेश पारित करता हूं.

आगामी तीन माह तक कार्य व्यवसाय एवं कार्य संचालन हेतु निम्नांकित संचालक मंडल घोषित करता हूं :-

1.	श्री जीवन लाल	अध्यक्ष
2.	श्री राधे लाल महार	उपाध्यक्ष
3.	श्री विष्णु राजपाल	सदस्य
4.	श्री रामलाल पटेल	सदस्य
5.	श्री हेमराज पटेल	सदस्य
6.	श्रीमति उर्मिला	सदस्य

बिलासपुर, दिनांक 18 जून 2009

क्रमांक /परिसमापन/2009/918.— पंडित दीनदयाल प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित, महारानी लक्ष्मी नगर टिकरापारा बिलासपुर, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3466 दिनांक 13-3-92 को सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था. कारण बताओ सूचना का जवाब प्रस्तुत नहीं होने के फलस्वरूप उक्त संस्था को परिसमापन में लाते हुए श्री एम. के. बंदे, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: संस्था के परिसमापक द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. समिति के सदस्यों की बैठक आहूत कर यह निर्णय लिया गया कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाय. सोसायटी अधिनियम/नियम एवं पंजीकृत उपविधि तथा समय-समय पर शासन द्वारा बनाये गये नियमों के तहत् कार्य करेगी. परिसमापक द्वारा भी समिति को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की गई. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर समिति को पुनर्जीवित करना सदस्यों के हित में है. परिसमापक के प्रतिवेदन से मैं सहमत हूं.

अत: मैं, एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह(सी) दिनांक 26-7-99 के द्वारा पंजीयक के द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(4) के तहत पंडित दीनदयाल प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित महारानी लक्ष्मी नगर टिकरापारा बिलासपुर, विकासखण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3466 दिनांक 13-3-92 को पुनर्जीवित करने का आदेश पारित करता हूं.

आगामी तीन माह तक कार्य व्यवसाय एवं कार्य संचालन हेतु निम्नांकित संचालक मंडल घोषित करता हूं :-

1.	श्री चेतन बजाज	अध्यक्ष
2.	श्रीमति राज	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमति शुभकला देवी	सदस्य
4.	श्री आर. एन. सिंह	सदस्य
5.	श्री सत्यनारायण चौधरी	सदस्य
6.	श्री शादी लाल	सदस्य

बिलासपुर, दिनांक 22 जून 2009

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2009/939.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/............/बिलासपुर, दिनांक .... के तहत जय डिडेश्वरी ईंट भट्ठा सहकारी समिति मर्यादित, मल्हार, पंजीयन क्रमांक 3553 दिनांक 29-10-94, विकासखण्ड मस्तुरी, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी, मस्तुरी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 22-6-09 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 13 जुलाई 2009

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्रमांक/परिसमापन/2009/1063.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/1750/बिलासपुर, दिनांक 24-06-95 के तहत उद्वहन सिंचाई सहकारी समिति मर्यादित, चिचगोहना, पंजीयन क्रमांक 3040 दिनांक 25-09-1974, विकासखण्ड मरवाही, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के तहत श्री आर. के. गुप्ता सहकारिता विस्तार अधिकारी, मरवाही को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा परिसमापन का सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एन. कुजूर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1/सी. दिनांक 26-7-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 13-7-09 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

एन. कुजूर,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2009.